बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

District Skills Manager, दरभंगा तथा District Skills Manager, मधुबनी के द्वारा BSDC मनिगाछी KYP code 02010012 तथा BSDC राजनगर KYP code 02020013 का निरीक्षण के पश्चात अपना जाँच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया कि BSDC मनिगाछी के Center Coordinator cum Learning facilitator तथा BSDC राजनगर के Assistant Coordinator के विभिन्न अंगुलियों का पंजीकरण अलग-अलग प्रशिक्षणार्थियों के लिए किया गया है ।

District Skills Manager, दरभंगा तथा मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन दोनों केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध किया गया तथा इनके संचालकों से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में BSDC मनिगाछी के संचालक एजेंसी Educomp solutions Ltd. के Project Head के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि Biometric पर एक Learner के एक अंगुली का पंजीकरण नहीं हो रहा था, अतः अज्ञानतावश Learning facilitator cum Center Coordinator के द्वारा उक्त प्रशिक्षणार्थी के स्थान पर अपने अंगुलियों का पंजीकरण कर दिया गया । Educom के Project Head के द्वारा इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया गया तथा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि इस घटना के लिए सजा के तौर पर उक्त Learning facilitator के वेतनवृद्धि को रोक दिया गया है ।

BSDC राजनगर के संचालक एजेंसी Peregrine के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि उनके प्रबंधन ने विषयवस्तु को काफी गंभीरता से लिया है तथा उनके द्वारा स्वयं पुरे मामले की छानबीन की गयी है । अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा केन्द्र की Center Coordinator श्रीमती कविता झा तथा आरोपी श्री विपीन कुमार झा को अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण में इस प्रकार की हेराफेरी किये जाने की बात को स्वीकार किया गया तथा उन दोनों कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवामुक्त कर दिये जाने का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

दोनों एजेंसियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों केन्द्रों पर प्रशिक्षण संचालित किये जाने में अनियमितता की गयी है, जिसे दोनों संचालक एजेंसियों के द्वारा स्वीकार भी किया गया है । अतः समीक्षोपरान्त दोनों संचालक एजेंसियों को कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए इनके स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है । उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उनके किसी भी केन्द्र पर फर्जी अंगुलियों के सहारे प्रशिक्षण संचालित किये जाने की घटना पाये जाने या अन्य किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उनके साथ संबद्ध सभी केन्द्रों के पंजीकरण को रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा की राशि को जब्त कर लिया जायेगा । साथ ही BSDC मनिगाछी एवं राजनगर के जुलाई,2019 बैच के Final Invoice से 40% के राशि की कटौती करते हुए उनके अवरूद्ध नामांकन को पुनः प्रारम्भ किया जाता है । Project Director, MKCL को आदेश दिया जाता है कि वे BSDC मनिगाछी KYP Code 02010012 तथा BSDC राजनगर KYP code 02020013 के बंद नामांकन को Open

1838

कर दें। मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा को आदेश दिया जाता है कि वे BSDC मनिगाछी तथा BSDC राजनगर के जुलाई,2019 बैच के Final Invoice से 40% के राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें ।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-BSDM/SDM-18/2017(खण्ड-1)- 60 पटना,दिनांक- 20/01/2020

प्रतिलिपि-(1) Project Head, Educomp Solutions Pvt. Ltd. (BSDC मनिगाछी)/ Project head, Peregrine(BSDC राजनगर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(2) जिला नियोजन पदाधिकारी, दरभंगा/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(5) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ SPMU Incharge दरभंगा एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(6) जिला कौशल प्रबंधक,दरभंगा एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/01/2020.

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।